न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2302/2005/बाडमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाडमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती रेहमता पुत्री सिल्लू (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. फोटा पुत्र रहमता
1/2. लागा पुत्र रहमता
2– मु0 रसीदार पुत्री सिल्लू
सभी जाति मुसलमान निवासी ग्राम ईटादा तहसील चौहटन जिला बाडमेर।
3– रूघा पुत्र माना
4– नगा पुत्र रतना
समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम ईटादा तहसील चौहटन जिला बाडमेर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0–वादीया मु0 रहमता पुत्री सिल्लू जो कि रेस्पो0 संख्या 1/1 एवं 1/2 की माता है एवं रेस्पो0 नं0 2 रसीदा ने एक राजस्व वाद विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 व 4 क्रमशः रूधा

एवं नगा के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी जी गुड़ामालानी के न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ईटावा तह0 चौहटन में उनके पिता के नाम कदीमी खेत आये हुये थे। सं0 2011 के भू–प्रबंध में खसरा नम्बर 175 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा, 197 रकबा 132 बीघा 8 बिस्वा, 213 रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा, 229 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, 231 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, 606 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा, 617 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 323 बीघा 7 बिस्वा थी, जिसका पर्चा लगान उनके पिता सिल्लू के नाम जारी हुआ। वादी की जाति मुसलमान है तथा उनका भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा सिल्लू के पुत्रो के 2/3 हिस्सा है, किन्तु पिता की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण भूमि दोनों पुत्र अरबाब एवं इनायत के नाम दर्ज कर दी तथा उन्होंने इस भूमि मे से काफी भूमि विभिन्न व्यक्तियों को बैचान कर दी तथा खरीददारों के हक में नामान्तकरण संख्या 127, 176, 303 एवं 304 भरे गये एवं शेष बची हुयी भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 66 बीघा 4 बिस्वा, 213 रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा, 229 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 617 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि अरबाब एवं इनायत के अवैध रूप से पाक जाने के कारण खालसा सरकार घोषित कर दी गई। उक्त खालसा भूमि का कब्जा बहक सरकार ले लिया गया तब से उक्त भूमि राज्य सरकार के कब्जे में चली आ रही थी। उक्त राजकीय सिवाय चक भूमि में से खसरा नम्बर 213 रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा का दिनांक 09–06–1990 को प्रतिवादी संख्या 2 को खसरा नम्बर 231 में से 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि का दिनांक 27–08–92 को प्रतिवादी संख्या 3 को एवं खसरा नम्बर 197 की 35 बीघा भूमि का वादिया को आवंटन कर दिया, किन्तु उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भूमि को पुश्तैनी बताते हुये उक्त भूमि मे 1/3 हिस्सा अर्थात 107 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अपना हक बताते हुये दावा प्रस्तुत किया एवं पिता के देहान्त के बाद दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 79 को निरस्त करवाने एवं विवादित भूमि मे की गयी खालसा कार्यवाही को निरस्त करवाने एवं वादीया संख्या 1 को किये गये आवंटन को यथावत रखते हुये प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को किये आवंटन को निरस्त करवाने तथा वक्त बन्दोबश्त कुल भूमि 323 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्सा में बनने वाली 107 बीघा 8 बिस्वा भूमि की खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की गयी। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर गुडामालानी ने उभय पक्ष को सुनकर वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 27–3–04 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के

समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–6–2004 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–6–04 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। सिल्लू के मरने बाद नामांतरकरण सं. 79 उसके दोनों पुत्रों अरबाब एवं इनायत के नाम मजमेआम में तस्दीक किया गया था जिसकी जानकारी वादी रेस्पोडेंट को थी किंतु वादिया ने उक्त नामांतरकरण के कभी चुनौती नहीं दी तथा सिल्लू के दोनों पुत्रों ने उक्त भूमि में से काफी रकबा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिया तथा क्रेता के हक में नामांतरकरण भी तस्दीक कर दिये गये थे। वाद में क्रेता को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अरबाब व इनायत के अवैध रूपसे पाक चले जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा धारा 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये भूमि को खालसा घोषित कर दिया एवं उक्त भूमि राजकीय सिवायचक घोषित हो जाने के कारण राज्य सरकार के हक में नामांतरकरण सं. 402 दिनांक 20–2–75 तस्दीक हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि पर सिल्लू एवं उसके पुत्रों के टिनेन्सी अधिकार समाप्त कर दिये गये थे तथा इस कार्यवाहीं को वादिया द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। जो अधिकार न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा समाप्त कर दिये गये है उन अधिकारों को पुर्नस्थापित करने हेतु दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था। इस कारण परीक्षण न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज किया था। भूमि सिवायचक होने के बाद खसरा नंबर 197 रकबा 35 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट वादिया के पक्ष में किया तथा इस आवंटन को उसने स्वीकार किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने उस आवंटन को भी बहाल रखकर अपील को स्वीकार किया है। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन

निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादिया रेस्पोडेंट के पिता सिल्लू के पूर्वजों की निर्विवाद खातेदारी की आराजी थी। सिल्लू के फौत होने पर नियमानुसार नामांतरकरण उसके पुत्रों के नाम भरा गया। उनका कथन है कि मुस्लिम विधि में मृतक व्यक्ति की खातेदारी आराजी में सबसे पहले 1/8 हिस्सा उसकी पत्नि का, शेष भूमि में उसके पुत्रों का 2/3 हिस्सा एवं बकाया 1/3 हिस्से की भूमि उसकी पुत्रियों को मिलती है। मगर फौतगी का नामांतरकरण भरते समय पटवारी हल्का द्वारा उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखे बिना वादिया का नाम दर्ज नहीं किया गया। विवादित आराजी सिल्लू की होने के सबंध में कोई विवाद नहीं है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि के सबंध में कब्जे का प्रश्न महत्वहीन है कि किस सहखातेदार का कब्जा था तथा किस का नहीं था। ऐसी भूमि के सबंध में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू भाग पर कब्जा माना जाता है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजीयात में से अरबाब एवं इनायत मात्र अपने हिस्से की आराजी का बैचान कर सकते थे। इसी प्रकार यदि अरबाब एवं इनायत को अवैध रूपसे पाक जाने का दोषी माना जाकर उनकी खातेदारी की भूमि खालसा की जाती है तो उसमें रेस्पोडेंट वादिया की भूमि को खालसा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सभी कानूनी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेंट को मृतक सिल्लू की खातेदारी भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया गया है। परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से वाद साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने 2019 आरबीजे पेज 20, 2009 डीएनजे (1)एससी पेज 20 (बी), 2008 आरआरटी (2) पेज 936, 2019

आरआरटी पेज 593 व 2004 एआईआर एससी पेज 4800 की नजीरें प्रस्तुत की।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— हस्तगत् अपील में रेस्पोडेंट सं.1 व 2 वादीगण द्वारा वाद इस आधार पर लाया गया था कि विवादित आराजी उनके पिता सिलू की खातेदारी की आराजी थी जिसमें मुस्लिम विधि के अनुसार उनका पुत्री होने के आधार पर 1/3 हिस्सा था किंतु यह समस्त भूमि उनके भाई एवं सिलू के पुत्रों अरबाब व इनायत के नाम अंकित कर दी गई तथा उनके अवैध रूपसे पाक चले जाने के कारण भूमि खालसा घोषित करते हुये सिवायचक दर्ज कर दी गई। परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह माना कि सिलू की मृत्यु के पश्चात् अरबाब व इनायत के नाम नामांतरकरण सं.79 दिनांक 24—9—63 को स्वीकृत किया गया था किंतु इस नामांतरकरण की जानकारी होते हुये भी 34 वर्षो तक किसी प्रकार की कार्यवाहीं वादीगण द्वारा नहीं की गई। इसी प्रकार अरबाब व इनायत के पाक चले जाने के पश्चात् भूमि खालसा घोषित किये जाने के सबंध में जो कार्यवाहीं संपादित हुई वह भी उनकी जानकारी में थी किंतु उन्होंने उस समय भी कोई कार्यवाही अथवा अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण न्यायालय ने वादीगण द्वारा वाद साबित नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सिलू की खातेदारी की भूमि के 1/3 हिस्से पर वादीगण का हक मानते हुये प्रकरण का निस्तारण किया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादीगण का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा और उनके द्वारा 34 वर्ष से अधिक अवधि में भी भूमि के सबंध में कोई कार्यवाहीं नहीं की गई। ऐसी स्थिति में भूमि के सिवायचक दर्ज हो जाने के पश्चात् इसे प्रतिवादी सं. 2 व 3 को आवंटित कर दिया गया। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा भूमि को सिवाचयक घोषित किये जाने के 34 वर्ष तक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाहीं नहीं की गई।

9— हमारी सुविचारित राय में किसी व्यक्ति द्वारा 34 वर्ष तक भूमि के अधिकार से वंचित रहने के पश्चात् बिना कब्जेकाश्त मात्र इस आधार पर वाद के माध्यम से घोषणा प्राप्त नहीं की जा सकती कि वे इस भूमि पर उत्तराधिकारी होने के आधार पर अपना हिस्सा घोषित करवाने हेतु सक्षम थे। हम वकील रेस्पोडेंट के इस तर्क से

सहमत नहीं है कि धारा 88 के अंतर्गत समय सीमा नहीं होने के कारण दावा कभी भी लाया जा सकता है। क्योंकि वादी को यह सिद्ध करना पडेगा कि उसके द्वारा किन कारणों से भूमि पर अधिकार रखते हुये घोषणा प्राप्त नहीं की गई है। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी काबिज रहने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम वकील वादी के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाते है कि वादीगण का सहखातेदार होने के कारण कब्जा माना जायेगा क्योंकि भूमि अभिलिखित खातेदार अरबाब व इनायत के पाकिस्तान चले के बाद सिवायचक दर्ज हो चुकी थी। अतः अभिलिखित खातेदार के अधिकार समाप्त होने के पश्चात् किसी अन्य को किस प्रकार कब्जा मानकर खातेदारी प्रदान की जा सकती है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने वाद के तथ्यों को सही रूपसे विश्लेषित नहीं करते हुये जिस प्रकार कयास के आधार पर सिवायचक भूमि के सबंध में डिक्री पारित की है उसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वाद में वादी रहमता को भूमि आवंटित किये जाने अथवा आवंटित भूमि के सबंध में घोषणा प्राप्त करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद के तथ्यों के विपरीत जिस प्रकार वाद डिक्री किया है वह बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

9— वादीगण का वाद सिद्ध न होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ उसका वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र कयास एवं बिना साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वादी की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरें हस्तगत् प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29—6—04 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27—3—04 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरडा)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य